न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/83/2019

प्रवेश तिथि 28.08.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री प्रतापसिंह एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड त्हसील बहरोड जिला अलवर (राज.)–301701		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 12.09.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 23.07.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग के कार्यालय में कार्यरत रहे तत्कालीन क0सहायक श्री जसवन्त यादव के विरूद्ध विधानसभा आम चुनाव वर्ष 2018 के दौरान डीजल कूपनो में हुई गड़बडी के संबंध में जारी किये गये नोटिसों एवं उनके संबंध में की गई अग्रीम कार्यवाही से संबंधित पत्रों की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 23.07.19 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 26.08.19 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2019/646–47 दिनांकः 28.08.19 के माध्यम तलब कर दिनांकः 05.09.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्र क्रमशः दिनांकः 05.09.19 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी करने के बाद प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। प्रत्यर्थी की आरे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक लोक सूचना/2019/1281 दिनांक 09.09.2019 से जवाब अपील पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया गया।
7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 23.07.19 पर अपीलार्थी को प्रेषित पत्रांक लोकसूचना/19/1232 दि. 27.08.19 के माध्यम से "अपीलार्थी के आवेदन में वांछित तत्कालीन क0सहायक श्री जसवन्त यादव के विरूद्ध विधानसभा आम चुनाव वर्ष 2018 के दौरान डीजल कूपनो में हुई गड़बडी के संबंध में जारी किये गये नोटिसों एवं उनके—

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

संबंध में की गई अग्रीम कार्यवाही से संबंधित पत्रों/शिकायतों के संबंध में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी का चुनाव लिपिक से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। लिपिक रिपोर्ट अनुसार डीजल कूपन गड़बड़ी की कोई शिकायत/पत्र कार्यालय को प्राप्त होना नहीं बताया गया है। पत्र प्राप्त नहीं होने की ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही अपीलार्थी को लिखा गया है कि कार्यालय समय पर आकर रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकते है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पर पूर्व निश्चय किया जा चुका है।

8. उक्त आलोक अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)